KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL-263001(UTTARAKHAND)
Sponsored Research and Industrial Consultancy Cell(SRICC)
☎Office: 05942-235213, Fax: 05942 -235213, E-mail: sriccku@gmail.com

पत्रांक – एसआरआईसीसी/2018/शोध अध्यादेश/3513 दिनांक – 09 मई, 2018

सेवा में,

अधिष्ठाता विज्ञान/कला/वाणिज्य एवं प्रबन्धन/विधि/शिक्षा
डी0एस0बी0परिसर नैनीताल/एस0एस0जे0परिसर अल्मोड़ा/
कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर भीमताल (नैनीताल)।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 05 मई 2016 की अधिसूचना के अनुसार पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रकिया विनियम 2009 को प्रतिस्थापित कर विनियम 2016 का सृजन भारत के राजपत्र द्वारा किया जा चुका है, जिसे कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2018 से लागू भी किया जा चुका है। अतः उक्त विनियम 2009 के अन्तर्गत शोध कर रहे समस्त शोधार्थियों को भी विनियम 2016 के अनुरूप ही शोध कार्य करने की माननीय कुलपति जी ने अनुमति प्रदान की है जिसका विवरण निम्नवत है –

1– पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा और अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

2– शोध कार्य की अवधि शोध पंजीकरण तिथि से अधिकतम 6 (छः) वर्ष तक मान्य है। उक्त अधिकतम अवधि पूर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष का समय विस्तारण कुलपति जी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिए शोधार्थी द्वारा अपने शोध निर्देशक से प्रार्थना–पत्र अग्रसारित करवाकर 6 (छः) वर्ष की अधिकतम अवधि पूर्ण होने से पूर्व तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय को भेजना होगा। यदि उपर्युक्त अवधि तक समय विस्तारण के सम्बन्ध में शोधार्थी से कोई प्रार्थना–पत्र निदेशक, एसआरआईसीसी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल को प्राप्त नहीं होता है तो शोधार्थी का शोध पंजीकरण स्वतः निरस्त हो जायेगा।

3– अभ्यर्थी पी–एच0डी0 विस्तारित समय (extended period) समाप्त होने से तीन माह पूर्व पुर्नपंजीकरण (Re-registration) के लिए आवेदन कर सकेगा तत्पश्चात् विहित शुल्क (Re-registration fee) के भुगतान करने के बाद ही अभ्यर्थी को शोध प्रबन्ध जमा करने के लिए एक वर्ष की अधिकतम अवधि (maximum period) दी जायेगी। शुल्क का भुगतान एवं शोध प्रबन्ध (thesis) का निक्षेपण (submission) विस्तारित समय अवधि के भीतर ही किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद शोध प्रबन्ध स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4– महिला शोधार्थी तथा निशक्त व्यक्ति [जिनकी निशक्तता 40 (चालीस) प्रतिशत से अधिक हो] उन्हें पी–एच0डी0 के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महिला शोधार्थियों को पी–एच0डी0 की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

भवदीय

Rajeev 09/05/2018

निदेशक
Sponsored Research and Industrial Consultancy Cell
कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल

प्रतिलिपि – 1– निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (शोध), एस0आर0आई0सी0सी0, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल ।
3– परिसर निदेशक, डी0एस0बी0परिसर, नैनीताल/एस0एस0जे0परिसर, अल्मोड़ा।
4– प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल।